(५५)

## ।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : मातादीन शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2015

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. बाबूलाल पुत्र श्री फुसाराम जाति सुथार निवासी ग्राम सेतरावा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।<br>2. खुशालाराम पुत्र श्री फुसाराम जाति सुथार निवासी ग्राम सेतरावा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर। | | 1. तहसीलदार पोकरण।<br>2. दलपत सिंह पुत्र कोजराज सिंह जाति राजपूत निवासी केलावा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर। |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तकरण आदेश क्रमांक राजस्व / 2012 / 408 दिनांक 13.03.2012 तहसीलदार पोकरण के अनुसरण में स्वीकृत

उपस्थित :

1. श्री हरी सिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार जैसलमेर पेरोकार राज अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
3. प्रत्यर्थी संख्या 2 अनुपस्थित

:: निर्णय ::  दिनांक : 25 अप्रेल, 2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी के अनुसार ग्राम केलावा के खसरा नम्बर 27 एवं 236 रकबा 462 बीघा सात परिवारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई थी जिसका पारिवारिक बंटवारा होने से नामान्तकरण संख्या 272 द्वारा अभिलेख में अमल दरामद किया गया। इसके अनुसार ए–बेरीसाल सिंह पुत्र रणजीत सिंह व अमर सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 27 में 95–12 बीघा व खसरा नम्बरा 236/332 में 18 बीघा कुल रकबा 113–12 बीघा, बी–मनोहर सिंह पुत्र हड़वंत सिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 236 में 68 बीघा, सी–दलपत सिंह पुत्र कोजराज सिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 236/331 में 43 बीघा, डी–भूर सिंह पुत्र कोजराज सिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 236/330 में 18–4 बीघा, ई–खुशाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह के हिस्से में 43–11 बीघा, एफ–अचल सिंह पुत्र सोहन सिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 236/328 में 132 बीघा 2 बिस्वा व नखत सिंह, हुकम सिंह, भेरू सिंह पुत्रान सबल सिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 236/229 में 43–11 बीघा भूमि दर्ज की गई। दिनांक 12.06.1989 को प्रत्यर्थी संख्या 2 दलपत सिंह से अपीलार्थीगण ने 43 बीघा भूमि जो ग्राम केलावा के खसरा नम्बर 236/ 331 में स्थित है, पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये क्रय की गई, जिसके पक्ष में दिनांक 20.06.1989 को नामान्तकरण स्वीकृत किया जाकर अभिलेख में अमल दरामद किया गया जिस पर अपीलार्थीगण 25–26 वर्ष से काबिज काश्त है। दर्शन सिंह पुत्र दयाल सिंह चेला प्रेमदान, गोरी सिंह पुत्र जगसीर सिंह एवं निसतरकोर बेवा जगसीर सिंह निवासियान बेगी निहालसिंह, भटिण्डा (पंजाब) हाल केलावा ने सहायक कलक्टर पोकरण के न्यायालय में वाद संख्या 17/2011 प्रस्तुत किया कि वादीगण ने ग्राम केलावा के खसरा नम्बर 236 उपरोक्त वर्णनानुसार रकबा 424–08 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 236 रकबा 68 बीघा व खसरा नम्बर 236/330 रकबा 18–04 बीघा कुल 86–04 बीघा में से 52–10 बीघा भूमि मनोहर सिंह के पिता हड़वंत सिंह व भूर सिंह पुत्र कोजराज सिंह से दिनांक 17.02.1975 को खरीद ली थी जिसका नामान्तकरण नहीं भरा गया है, जिसे भराया जाकर स्वीकार किया जाए। उक्त वाद में सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.02.2012 में आदेशित किया गया है कि वादीगण क्रेता के नाम प्रश्नगत भूमि दर्ज की जाए एवं नामान्तकरण संख्या 169 एवं 272 निरस्त करते हुए रेकर्ड की पूर्व स्थिति बहाल की जाए। इसके अनुसरण में तहसीलदार पोकरण के आदेश संख्या 408 दिनांक 13.03.2012 द्वारा नामान्तकरण संख्या 734 एवं 735 भरे जाकर स्वीकृत किये गये है जिसके द्वारा सन 1975 की स्थिति बहाल की गई है। अपीलार्थी का कथन है कि दर्शन सिंह व अन्य ने

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर जैसलमेर

भूमि मनोहर सिंह के पिता हड़वंत सिंह व भूर सिंह पुत्र कोजराज सिंह से क्रय करना बताया है जबकि अपीलार्थीगण ने भूमि दलपत सिंह के हिस्से की क्रय की है। दर्शन सिंह व अन्य ने अपीलार्थीगण को वाद में पक्षकार नहीं बनाया जिससे वे अपना पक्ष नहीं रख सकें। अपीलार्थीगण ने उनके द्वारा क्रय की गई खसरा नम्बर 236/331 रकबा 43 बीघा भूमि अपने नाम रेकर्ड में दर्ज करने का अनुतोष चाहा है।

अपीलार्थीगण का कथन है कि उनके द्वारा उक्त वाद निर्णय को राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन कर पक्षकार संयोजित कर चुनौती दी गई, परन्तु उक्त न्यायालय ने उनका पक्षकार बनने का आवेदन निरस्त कर दिया। इस पर उनके द्वारा नामान्तकरण कार्यवाही के विरूद्ध अपील प्रस्तुतीकरण में विलम्ब कारित हुआ जिस क्षम्य करने के लिये धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अनुरोध किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया। गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा कि ग्राम केलावा में स्थित भूमि का नामान्तकरण संख्या 272 द्वारा बंटवारनामा के अनुसार स्वीकार किया गया। दलपत सिंह पुत्र कोजराज सिंह के हिस्से में 43 बीघा भूमि आई जो जमाबंदी में दर्ज थी। दर्शन सिंह ने धारा 88 काश्तकारी अधिनियम में मनोहर सिंह के विरूद्ध दावा सहायक कलक्टर पोकरण के न्यायालय में प्रस्तुत किया जबकि पक्षकार 10 थे। दर्शन सिंह व अन्य ने 1975 में भूमि मनोहर सिह के पिता हड़वंत सिंह व भूर सिंह से खरीद की थी, परन्तु पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तकरण नहीं भरवाया। सहायक कलक्टर पोकरण ने वाद में दिनांक 29.02.2012 को आदेश दिया कि सन् 1975 के पूर्व की स्थिति कायम रखें जिसके नामान्तकरण स्वीकृत कर दिये गये है उनके विरूद्ध अपील लाई गई है। उन्होंने टाईटल धारक को पक्षकार बनाये बिना दावा डिक्री करना बताया व प्रश्नगत इंतकाल भी बिना सुनवाई का अवसर दिये व बिना मौके की स्थिति स्वीकार किये गये है। कोई भी सहखातेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान नहीं कर सकता। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तकरण निरस्त करने का अनुरोध किया।

पेरोकार राज ने प्रश्नगत नामान्तकरण सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा वाद संख्या 17/2011 में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 29.02.2012 के अनुसरण में भरे जाकर स्वीकार किये जाने का तर्क प्रस्तुत करते हुए इनका विधि सम्मत होना कथन करते हुए अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा संबंधित कानून की स्थिति देखी जाकर गंभीरतापूर्वक मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में नामान्तकरण का मुख्य आधार न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण के वाद संख्या 17/2011 में दिनांक 29.02.2012 के द्वारा पारित निर्णय है। अतः जब तक न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण के वाद संख्या 17/2011 में दिनांक 29.02.2012 द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के सक्षम आदेश अपीलीय न्यायालय से नहीं हो जाते है, तब तक नामान्तकरण के संबंध में किसी प्रकार के आदेश नहीं किए जा सकते है। अतः अपीलार्थी को चाहिए कि न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण के वाद संख्या 17/2011 में दिनांक 29.02.2012 द्वारा पारित निर्णय के संबंध में सक्षम अपीलीय न्यायालय में चाराजोही की जावें। अतः अपीलार्थी के अभिकथनों में बल नहीं होने से अपील खारिज योग्य रहती है। अतः अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25 अप्रेल, 2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

(मालादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर